

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

फरवरी-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)12/2008	स्व० लाल बिहारी कुम्भकार प्राथमिक शिक्षक के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर उनके पुत्र जयनाथ कुम्भकार को सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने के संबंध में ।	09.02.2012	उपायुक्त सरायकेला खरसावां के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)49/2011	नुजहत यासमीन, सहायक शिक्षिका इस्माईलिया उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल डोरण्डा राँची को योगदान नहीं करने देने के संबंध में ।	09.02.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पत्र पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)22/2008	गिरिडीह जिला के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नती में बरती जा रही विभागीय शिथिलता के संबंध में ।	13.02.2012	निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखण्ड के प्रतिवेदन जिसमें नियमानुसार प्रोन्नत कर दिये जाने का वर्णन है के आधार पर परिवादी द्वारा दिये गये मंतब्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(शिक्षा)13/2011	श्री अशोक कुमार भारती निलम्बित शिक्षक बंगला कन्या मध्य विद्यालय गोमियां बोकारो के जीवन यापन भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	24.02.2012	उपायुक्त बोकारो के जांच प्रतिवेदन जिसके द्वारा परिवादी को जीवन यापन भत्ता का भुगतान कर दिया गया है का वर्णन है के आधार पर परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(शिक्षा)29/2011	श्री नोबस लुगून सेवानिवृत्त लिपिक संत लुईस उच्च विद्यालय खंजलोया सिमडेगा के पेंशन उपादान के पुनःरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के संबंध में ।	24.02.2012	महालेखाकार के रिपोर्ट के आधार पर परिवादी से मंतब्य की मांग की गई परन्तु कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपना मंतब्य नहीं दिया गया जिससे प्रतीत होता है कि उनके परिवाद का निराकरण हो गया तथा महालेखाकार के रिपोर्ट पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। अतः परिवाद बंद कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)13/2011	कमला देवी पति बसंतलाल शर्मा का पारिवारिक सदस्यता सूची को रद्द करना और आवेदिका पर	03.02.2012	परिवादी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं करने के कारण कि वह इस मामले से किस प्रकार संबंधित है माननीय लोकायुक्त द्वारा इस

		न्यायोचित कार्रवाई करने के संबंध में ।		परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)16/2006	श्री धुड़ा उराँव ग्राम कुटमु फेकवाटोली, जिला, लोहरदगा के जमीन बिक्री के संबंध में ।	17.02.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद में उठाए गए आपत्ति को उचित मानते हुए अपर समाहर्ता लोहरदगा द्वारा मामले में उचित आदेश पारित किया जा चुका है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)08/11	श्री किशुन गोप पंचायत सेवक निलम्बित प्रखण्ड केरसाई जिला- सिमडेगा को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	28.02.2012	उपायुक्त सिमडेगा के प्रतिवेदन के आलोक में जिसके द्वारा परिवादी को उसके बकाया वेतन भत्ता का भुगतान करने की बात की गई है । अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण हो चुका ।
4.	02/लोक(राजस्व)32/2007	चन्द्रकान्त गोपालका धनबाद फाइनांस कम्पनी एवं थना प्रभारी बरियातु राँची के विरुद्ध मखन पाहन एवं लक्ष्मण पाहन बड़ागाई राँची का शिकायत ।	28.02.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कार दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(पुलिस) 8/2011	हजारीबाग सदर थाना ओ० पी० मोफसिल काण्ड सं० 266/2011 के नामजद अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बचाने के विरुद्ध आत्मदाह करने के संबंध में मनोज विश्वकर्मा का शिकायत	8.02.2012	पुलिस अधीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार हजारीबाग सदर थाना ओ० पी० मोफसिल काण्ड सं० 266/2011 के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में चार्ज शीट दाखिल किया जा चुका है, अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा०वि०वि०) 10/2011	कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखण्ड अन्तर्गत बरवाडीह ग्राम में मनरेगा योजना से चल रहे कूप का निर्माण गलत स्थल पर कराये जाने एवं भुगतान की गई राशि के वसूली के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	08.02.2012	उपायुक्त कोडरमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मरकच्चो के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(ग्रा०अ०सं०)09/2005	बासुकीनाथ-नोनीहाट के बीच बने सड़क के कार्य में अनियमितता के संबंध में ।	08.02.2012	उपायुक्त दुमका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतबय के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(खाद्य0आ0)01/2011	स्व0 राजेन्द्र प्रसाद, लेखा पदाधिकारी स्टेट फुड कारपोरेशन गिरीडिह झारखण्ड के विधवा के पारिवारिक पेंशन के संबंध में।	08.02.2012	सहायक PPF आयुक्त राँची, अध्यक्ष, स्टेट फुड कारपोरेशन धुर्वा राँची तथा स्टेट फुड कारपोरेशन पटना बिहार के प्रतिवेदनों के आलोक में (जिसमें परिवादी के परिवाद के निराकरण की पुष्टि की गई है) परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)26/2011	श्री केशव प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी भण्डरिया गढ़वा को ए.सी.पी. की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	11.02.2012	परिवादी को ए.सी.पी. की बकाया राशि का भुगतान दिलाया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)08/2008	कृषि निदेशालय राँची द्वारा स्व0 प्रमोद कुमार भूतपूर्व कनीय पौधा संरक्षक पदाधिकारी दुमका के अश्रित श्री पल्लव कुमार सिंहा को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से शोषण करने के संबंध में ।	21.02.2012	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन (जिसमें परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने का पुष्टि किया गया है) के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

सांख्याकि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(सां०)01/2006	परमेश्वर दयाल संगनक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विष्णुगढ़ हजारीबाग की अवैद्य नियुक्ति के संबंध में ।	11.02.2012	कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र तथा कोर्ट फी समर्पित नहीं किया गया जिससे प्रतीत होत है कि परिवादी अपने परिवाद के प्रति इच्छुक नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

सामान्य भविष्य निधि

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(सा०भ०नि०)01/08	राज्य के सभी जिला भविष्य निधि कार्यालयों में लिपिक पदों पर प्रतिनियोजित लिपिकों का सेवा समायोजन के संबंध में।	03.02.2012	सेवा समायोजन से संबंधि मामले लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

परिवहन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(परिवहन)02/2011	डी० टी० ओ० साहेबगंज द्वारा निबंधन प्रपत्र Registration Paper निर्गत नहीं करने के संबंध में ।	28.02.2012	जिला परिवहन पदाधिकारी साहेबगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में तथा परिवादी द्वारा कई स्मार पत्रों के बाद भी अपना मंतव्य नहीं देने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(जल सं०)09/2009	श्री गया प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	08.02.2012	संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिवेदन जिसमें परिवादी को वित्त विभाग के नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. का भुगतान कर दिये जाने का पुष्टि किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी से मंतव्य की मांग की गई परन्तु कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के पाश्चात भी मंतव्य नहीं दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(जल सं०)03/11	श्री देव नारायण राय सेवा निवृत्त लिपिक की देय पावनाओं एवं पेंशन निर्धारण कर भुगतान किये जाने के संबंध में ।	25.02.2012	परिवादी को अन्य देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । मुख्य अभियंता के जांच प्रतिवेदन के अलोक में परिवादी द्वारा द्वितीय ए.सी.पी. पर उठाये गये अपत्ति नियमानुसार मानय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक (स्वा०)26/2005	श्री विश्वमोहन सिंह, सेवानिवृत्त मलेरिया पर्यवेक्षक राँची का सामान्य भविष्य निधि तथा अव्यवहृत अवकाश की राशि के भुगतान के संबंध में ।	11.02.2012	जिला मलेरिया पदाधिकारी राँची के रिपोर्ट के आलोक में परिवादी से कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी मंतब्य प्राप्त नहीं हो सका तत्पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा०)04/2011	पेंशन एरियर का भुगतान करने से संबंधित मो० असलम व अन्य से प्राप्त परिवाद ।	10.02.2012	अपर समाहर्ता राँची तथा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बरियातू राँची के प्रतिवेदन तथा परिवादी द्वारा कई पत्रों एवं स्मार पत्रों के बाद भी अपना मंतब्य नहीं देने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सहकारिता)01/2008	श्री नन्द किशोर सिंह सेवानिवृत्त प्रधान सहायक कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी धनबाद को ए.सी.पी. का लाभ नहीं देने के संबंध में ।	25.02.2012	सहकारिता विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को नियमानुसार ए.सी.पी. का लाभ का भुगतान कर दिया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(न०वि०वि०) 146/2005	विनय कुमार सिंह एवं अन्य विशेष पदाधिकारी हजारीबाग नगर पालिका द्वारा नजराना मांगें जाने के बाद नहीं देने पर न्यू एरिया दुसरी गली दालमोट फ़ैक्ट्री लेन से जल जमाव दूर करने के लिए नाली निर्माण के नाम पर लाखों रूपये गबन करने के संबंध में ।	01.02.2012	कई पत्रों तथा स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद के प्रति सजग नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

2.	02/लोक(न0वि0वि0)22/05	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा स्वीकृत करने में भ्रष्टाचार के संबंध में अध्यक्ष भ्रष्टाचार निवारण जनकल्याण समिति अपर बाजार का शिकायत पत्र ।	11.02.2012	परिवादी द्वारा परिवाद में विद्यमान त्रुटियों का निराकरण कई पत्राचार तथा स्मार पत्रों के बाद भी नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी अपने परिवाद के संबंध में रूची नहीं रखता है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(न0वि0वि0)05/06	मधुपुर नगरपालिका अन्तर्गत बंशीघर गुटगुटिया रोड (हाजी गली) जो पुर्व में निर्मित है को गलत तरिके से स्थल परिवर्तन कर नाली तथा सड़क का निर्माण करने के संबंध में।	10.02.2012	परिवाद के सर्थन में शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क समर्पित करने के लिए परिवादी से कई बार पत्राचार तथा स्मार पत्र दिया गया परन्तु परिवादी द्वारा इसमें किसी प्रकार का रूचि नहीं दिखाया गया। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(न0वि0वि0)02/09	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार एवं झारखण्ड प्रदुषण नियंत्रण पर्षद द्वारा कांके रोड के आवासीय क्षेत्र में औद्योगिक ईकाई द्वारा फैलाये जा रहे प्रदुषण की अनदेखी किये जाने के संबंध में ।	22.02.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण तथा परिवादी के मृत्यु के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

उद्योग विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(उद्योग)02/2007	मुख्य कारखाना निरीक्षक के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान के संबंध में सुधीर कुमार एवं अनय का परिवाद ।	10.02.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

शिकायत / परिवाद

फरवरी, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 634/2011	श्री मानकी डोमन सिंह द्वारा ग्राम तेंतला के जमीन को धोखाधड़ी पूर्वक दलालों एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से हिंडालको कम्पनी को बेचने संबंधी आरोप ।	04.02.2012	परिवादी को अन्य संवैधानिक उपचार प्राप्त है तथा पारित आदेश के विरुद्ध उसे इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
2.	शिकायत सं० 621/2011	मैथन पावर लि० के लिए प्रस्तावित रेलवेलाईन में अधिगृहित जमीन के मुआवजा भुगतान में भ्रष्टाचार करने के संबंध में भू-अर्जन पदाधिकारी धनबाद के विरुद्ध श्री फाल्गुनी मोहन घोष का शिकायत ।	04.02.2012	परिवादी को अन्य संवैधानिक उपचार प्राप्त है तथा पारित आदेश के विरुद्ध उसे इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।

3.	शिकायत सं0 548/2011	गलत तरिके से नाली के निर्माण के संबंध में श्री मनोज मुखर्जी से प्राप्त शिकायत ।	01.02.2012	पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र समर्पित नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद के प्रति सजग नहीं है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं0 19/2012	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून का पालन करवाने के संबंध में ।	04.02.2012	इस प्रकार के परिवाद का समाधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून में मौजूद है । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।
5.	शिकायत सं0 51/2012	आनाधिकृत रूप से केशर मशीन बैटाने के विरुद्ध श्री रूपेश कुमार रजक ग्राम खरकोकुण्डी एवं अन्य ग्रामीणों का शिकायत पत्र ।	09.02.2012	शिकायत कर्ता का शिकायत मुख्य रूप से केशर मशीन लगने के बाद प्रदुषण से संबंधित है जिसका सिधा संबंध राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से है। अतः शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
6.	शिकायत सं0176/2009	श्री राजेन्द्र प्रसाद सा0 नईटांड पो0-खुरचुट्टा थाना बेंगाबाद जिला गिरीडिह को पंचायत सेवक के पद पर प्रोन्नती नहीं देने के संबंध में ।	09.02.2012	शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा शपथपत्र तथा न्यायिक शुल्क कई पत्रों तथा स्मार पत्रों के बाद भी समर्पित नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं0 36/12	सर्वसधारण भूमि को अतिक्रमण कर अतिक्रमण अपील वाद में हेराफेरी करने के आरोप से संबंधित श्री अजय कुमार, मांगो, जमशेदपुर का शिकायत ।	13.02.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 8(1)(b) के तहत पोषणीय नहीं है ।
8.	शिकायत सं0 44/12	दाखिल खरिज नहीं करने के संबंध में अंचलाधिकारी हिरापुर धनबाद के विरुद्ध राजकुमारी देवी झरिया धनबाद का शिकायत ।	13.02.2012	परिवादी को अन्य संवैधानिक उपचार प्राप्त है तथा पारित आदेश के विरुद्ध उसे इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।
9.	शिकायत सं0 37/12	श्री विश्वनाथ पंडित चिरकुंडा धनबाद द्वारा घर के दक्षिण तरफ दिवार तोड़ने और कुआँ खोदने के संबंध में थाना प्रभारी तथा अंचलाधिकारी द्वारा न्याय नहीं दिलाने के संबंध में ।	10.02.2012	परिवाद SDO COURT में विचाराधीन है अतः परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
10.	शिकायत सं0 29/12	पासपोर्ट कार्यालय राँची, द्वारा ससमय पासपोर्ट निर्गत नहीं करने के संबंध में E-mail द्वारा श्री मनपुरन महतो का शिकायत ।	04.02.2012	शिकायत पासपोर्ट कार्यालय राँची के विरुद्ध किया गया है। पासपोर्ट कार्यालय केन्द्र सरकार के अधीन आते है अतः लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत शिकायत पोषणीय नहीं है ।
11.	शिकायत सं0 25/12	शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बरहेट शाखा साहेबगंज द्वारा पेंशन राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने के संबंध में ।	04.02.2012	परिवादी स्वयं भारत सरकार से सेवानिवृत्त एक कर्मचारी है तथा उसका शिकायत स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के विरुद्ध है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
12.	शिकायत सं0 41/2011	श्री संतोष कुमार सिंहा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सोनाहातु के विरुद्ध श्री सुरेश पाठक से प्राप्त शिकायत ।	08.02.2012	कई पत्रों तथा स्मार पत्र के बाद भी परिवादी द्वारा शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

13.	शिकायत सं० 52/2012	W.P(S) No. 3682/2009 में पारित आदेश के आलोक में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नती सम्पुष्टि के फलस्वरूप वेतन निर्धारण एवं देय पावनाओं के भुगतान के संबंध में।	08.02.2012	परिवादी पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में अपने परिवाद के निराकरण हेतु परिवाद दाखिल किया था जिसमें आदेश प्राप्त होगया है। अतः परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
14.	शिकायत सं०.80/2012	कनीय पणन पदाधिकारी से वरीय पणन पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर प्रन्नोती के संबंध में।	22.02.2012	लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत शिकायत वांछित समयावधि के पश्चात दाखिल किया गया है अतः पोषणीय नहीं है।
15.	शिकायत सं० 62/2012	AICTE एवं UGC के बिना मान्यता के उषा मार्टिन एकादमी द्वारा राँची, धनबाद, पटना, कोलकाता आदि शहरों में स्टडी सेन्टर खोलने के संबंध में श्री एस० सिंह डंगराटोली का शिकायत।	10.02.2012	उषा मार्टिन एकादमी एक निजी क्षेत्र का संस्थान है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अधिन नहीं आता है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं है।
16.	शिकायत सं०124/2011	श्री विक्की साहू उर्फ सतकेतु ग्राम- सिन्दरी थाना अड़की जिला खूँटि से प्राप्त शिकायत।	13.02.2012	उक्त परिवाद सीधे माननीय लोकायुक्त को संबोधित न हो कर माननीय मुख्य मंत्री झारखण्ड को संबोधित है जिस कारण लोकायुक्त कार्यालय द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्यवाही संभव नहीं है। अतः परिवाद को मुख्य मंत्री कार्यालय को अग्रसारित कर दिया गया।
17.	शिकायत सं० 119/12	टिस्को कम्पनी द्वारा दुकान आवंटन करने के उपरान्त अब तक दुकान की प्राप्ति नहीं होने संबंधी श्री बिनोद कुमार सिंह कदमा जमशेदपुर का टिस्को कम्पनी जमशेदपुर के विरुद्ध शिकायत।	28.02.2012	टाटा स्टील एक निजी क्षेत्र की कम्पनी है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
18.	शिकायत सं० 97/2012	बी० सी० एल० अधिकारी द्वारा नौकरी से गलत ढंग से निकाल दिये जाने के संबंध में श्री सरफुद्दिन अंसारी धनबाद का शिकायत।	29.02.2012	बी० सी० एल० भारत सरकार की एक अनुषंगी इकाई है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
19.	शिकायत सं० 113/12	श्री शिव प्रसाद सह० प्र० पदाधिकारी चाईबासा के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन सहित अन्य बकाये के भुगतान नहीं करने के संबंध में श्रीमती पुष्पलता देवी का शिकायत।	28.02.2012	परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया।
20.	शिकायत सं० 485/2011	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड जमशेदपुर द्वारा विकलांग कोटे के अन्तर्गत अल्प आय वर्गीय भूखण्ड आवंटन में अनियमितता के संबंध में।	12.02.2012	शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के प्रावधान के अनुसार कालबाधित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
21.	शिकायत सं० 109/2012	जिला साक्षरता समिति, चतरा में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में श्री नरसिंह दत्त सिंह का शिकायत।	22.02.2012	परिवाद नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
22.	शिकायत सं० 66/2011	श्रीमती फरहत जर्बी वार्डन एवं श्री अमरदीप कुमार लेखापाल कसतुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चतरा पर आरोप के संबंध में।	22.02.2012	कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क जमा नहीं कराया गया जिससे परिवादी की उदासिनता परिलक्षित होती है अतः परिवाद पर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
23.	शिकायत सं० 81/2012	डीड राईटर जमुआ (गिरिडीह) पर Breach of Trust का आरोप।	22.02.2012	डीडराईटर लोक सेवक नहीं होते हैं अतः उनके विरुद्ध झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत

				कार्रवाई संभव नहीं है ।
24.	शिकायत सं0 79/2012	श्रीमती सुनयना सिंह परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बानो(सिमडेगा) को नियमित वेतन/बकाया वेतन भुगतान के संबंध में ।	22.02.2012	परिवाद कालबाधित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं0 56/2012	श्री राजेन्द्र प्रसाद लेखा लिपिक पलामू के विभागीय दण्ड से मुक्ति तथा सेवान्त लाभ बकाया के संबंध में ।	21.02.2012	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
26.	शिकायत सं0 540/2011	श्रीमती अपर्णा कोले, जमशेदपुर की नियुक्ति तिथि की गलत प्रविष्ट किये जाने के संबंध में ।	28.02.2012	परिवादी द्वारा स्वयं परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की अनिच्छा जतायी गई है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
27.	शिकायत सं0 410/2011	श्री महादेव महतो बगोदर गिरिडीह को चालक अनुज्ञप्ति नहीं मिलने के संबंध में ।	28.02.2012	कई स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र तथा न्यायिक शुल्क जमा नहीं कराया गया जिससे परिवादी की उदासिनता परिलक्षित होती है अतः परिवाद पर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।